2018

विधि (प्रश्न-पत्र-II) (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 200

विशेष अनुदेश

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या **1** अनिवार्य है। प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम **एक** प्रश्न अवश्य कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सम्मुख अंकित हैं।

LAW (PAPER-II)

(Procedure and Evidence)

Time Allowed: Three Hours

Maximum Marks: 200

SPECIFIC INSTRUCTIONS

Attempt **five** questions in all. Question No. 1 is compulsory.

At least **one** question must be attempted from each Section.

Marks carried by each question have been indicated against the question.

1. (a) दिनांक 2 जून, 2017 को राम सिंह, जो एक अध्यापक है, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की मोटर बस सं० 1540 से लखनऊ से गोरखपुर जा रहा था। उसे बस के ड्राइवर मोहम्मद हकीम, और बस के साथ नियुक्त निगम के मैकेनिक सुंदरलाल (जो दुर्घटना के समय बस चला रहा था) की उपेक्षा, कदाचरण और ग़लत कृत्य के कारण गंभीर चोटें लगीं। उसे अन्य घायलों के साथ गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे अपना एक हाथ स्थायी रूप से गँवाना पड़ा। उसका इलाज विभिन्न अस्पतालों में 12.08.2018 तक चला और इस दौरान वह अपने अध्यापन कार्य, गृह कार्यों और खेती के कार्य नहीं कर सका। अब राम सिंह उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, बस के ड्राइवर और मैकेनिक के विरुद्ध ₹ 25,00,000 के प्रतिकर का वाद लाना चाहता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वादी राम सिंह के लिए एक वादपत्र तैयार कीजिए।

On 2nd June, 2017, Ram Singh, a schoolteacher, was travelling from Lucknow to Gorakhpur by a motor bus no. 1540 of UPSRTC. He sustained serious injuries due to the negligence, misconduct and wrongful act of the driver of the bus, Mohd. Hakim, and the mechanic, attached with the bus by the corporation, Sunderlal (who was driving the bus at the time of accident). He with other casualties was admitted to Govt. Hospital of Gorakhpur. He lost one of his hands permanently. His medical treatment continued in different hospitals till 12.08.2018 and during this period, he could not perform his teaching work, household duties and cultivation. Now, Ram Singh wants to file a suit against the UPSRTC, the driver of the bus and the mechanic for a compensation of ₹25,00,000.

Write a plaint for the plaintiff, Ram Singh, on the basis of the facts mentioned above.

(b) उपर्युक्त प्रश्न संख्या **1.** (a) के वादपत्र के उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए लिखित कथन का प्रारूप निम्नलिखित के आलोक में तैयार कीजिए :

''प्रतिवादी संख्या 1 की मुख्य दलील यह है कि प्रतिवादी संख्या 3, सुंदरलाल, केवल बस का मैकेनिक है और वह प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बस चलाने के लिए अधिकृत नहीं था। बस में अचानक कुछ यांत्रिकी खराबी आ गयी थी जिसे सिर्फ ठीक करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 अधिकृत था परंतु खराबी ठीक करने के बाद उक्त मैकेनिक ने बस की जाँच करने के लिए स्टीयरिंग व्हील बिना किसी प्राधिकार के अपने हाथों में ले लिया और बस की दुर्घटना तब हुई जब वह बस को चला रहा था। अतः निगम का कोई प्रतिनिधिक दायित्व नहीं है।''

Prepare a written statement for the defendant no. 1, the UPSRTC, answering the plaint made above under Question No. 1. (a) in the light of the following:

"The main plea of the defendant no. 1 is that the defendant no. 3, Sunderlal, is merely a mechanic of the bus and he was not authorized to drive the bus by the defendant no. 1. There occurred some mechanical defects in the bus suddenly and the defendant no. 3 was authorized only to cure the defects but after curing the defect, he took the steering wheel in his hands in order to check the bus without any authorization and the bus met with the accident when he was driving the bus. Therefore, the corporation is not liable vicariously."

अथवा / OR

(a) दिनांक 15.06.2018 को चौदह वर्ष की आयु की पीड़िता अपने लखनऊ स्थित घर पर अकेली थी और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दीनू और कल्लू नाम के दो अभियुक्त घर में कार्य कर रहे थे। पीड़िता के अकेले होने का लाभ उठाते हुए दोनों अभियुक्तों ने पीड़िता का बलात्संग किया, उसके अंतःवस्त्रों का प्रयोग करके उसका गला घोंट दिया और उसके शरीर पर तेज धार वाले हथियार से चोटें पहुँचाईं। उन्होंने पीड़िता के मृत शरीर को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया जिससे मनुष्य के मृत शरीर के प्रति असम्मान प्रतीत होता है। अभियोजन ने उनके लिए मृत्यु दंड की माँग इस आधार पर की है कि यह विरल से विरलतम (rarest of the rares) मामलों की श्रेणी में आता है। वहीं अभियुक्तगण इसके विपरीत तर्क देते हैं। अध्यान विराल के अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप का प्रारूप तैयार कीजिए।

On 15.06.2018, the victim, a fourteen-year-old girl, was alone in her house situated at Lucknow and was preparing for her examination. The two accused named Dinu and Kallu were working in the house. They took advantage of the fact of her being alone. They raped her, strangulated her by using her undergarments and caused injuries on her person with a sharp weapon. They threw her body into a septic tank at the back side of the house, which showed a disregard of respect for human dead body. The prosecution has demanded for death penalty for them on the ground that the matter comes within the category of the rarest of the rare cases. On the other hand, the accused have argued against it.

Prepare a draft of charge against the accused into the matter.

(b) भाग (a) के तथ्यों के आधार पर मामले का निर्धारण करते हुए अपना निर्णय दीजिए। युक्तियुक्त सज़ा भी सुनाइए। On the basis of the facts in part (a), decide the matter and give your judgement. Also award the reasonable punishment.

20

20

20

खण्ड—अ / SECTION—A

2.	(a)	सिविल प्रक्रिया संहिता में कमीशन जारी करने के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए।	
		Discuss the provisions of the Civil Procedure Code relating to the issue of Commission. Also give suitable illustrations.	20
	(b)	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 में निहित 'सूचना' के नियम को समझाइए। क्या ऐसी सूचना के अधिकार का अधित्यजन किया जा सकता है?	
		Explain the rule of 'notice' prescribed in Section 80 of the Civil Procedure Code, 1908. Whether a right to notice could be waived?	10
	(c)	एक वादपत्र न्यायालय द्वारा किन आधारों पर नामंजूर किया जा सकता है? विवेचना कीजिए।	
		On what grounds can a plaint be rejected by Court? Discuss.	10
3.	(a)	उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिनसे शरीर को कारित दोष (अपकार) हेतु प्रतिकर के लिए वार्दों के संबंध में वाद दायर करने का स्थान निर्धारित होता है।	
		निम्नलिखित के संबंध में वाद दायर करने का स्थान निर्धारित कीजिए:	
		'क', 'ख' तथा 'ग' संयुक्त रूप से प्रयागराज में 'घ' से कुछ ऋण माँग पर देय प्रोनोट द्वारा लेते हैं। 'घ' वाराणसी का निवासी है। 'क', 'ख' तथा 'ग' क्रमशः बरेली, गाज़ियाबाद तथा नोएडा में रहते हैं। 'क', 'ख' तथा 'ग' माँग पर देय ऋण का भुगतान करने में असफल रहते हैं।	
		State the provisions which govern the determination of the place of suing in relation to the suits for compensation for wrong to person.	
		In relation to the following, determine the place of suing: A , B and C jointly take a loan from D at Prayagraj on a promissory note payable on demand. D resides in Varanasi. A , B and C reside in Bareilly, Ghaziabad and Noida respectively. A , B and C fail to repay the loan no demand.	20
	(b)	'विदेशी निर्णय' से आप क्या समझते हैं? इसे अन्तिम कब माना जाता है? विवेचना कीजिए।	
		What do you understand by 'foreign judgement'? When is it deemed to be conclusive? Discuss.	10
	(c)	पक्षकारों के कुसंयोजन तथा असंयोजन से आप क्या समझते हैं?	
		'क', 'ख' के साथ 100 किंटल चीनी की पूर्ति हेतु एक करार 15.10.2018 को करता है। 'क' उसी दिन उतनी ही मात्रा में चीनी 'ग' तथा 'घ' को अलग-अलग पूर्ति करने हेतु करार करता है। 'क' तीनों को ही चीनी की पूर्ति नहीं कर पाता है। क्या 'ख', 'ग' तथा 'घ' एक ही वाद में 'क' के विरुद्ध वादी के रूप में संयोजित हो सकते हैं?	
		यकत ६:	

What do you understand by the misjoinder and nonjoinder of the parties? A enters into a contract with B to supply 100 quintals of sugar on 15.10.2018. The same day he agrees to supply to C and D separately the same quantity of sugar. A fails to supply sugar to all the three. Can all the three, i.e., B, C and D, join together in one suit as plaintiffs against A?

4. (a) 'प्रतिनिधि वाद' क्या है? किनके द्वारा और किन परिस्थितियों में ऐसा वाद लाया जा सकता है? क्या प्रतिनिधि वाद संस्थित करने से पूर्व जिनका प्रतिनिधित्व करना है उनकी सहमित आवश्यक है? निर्णीत वादों के आलोक में विवेचना कीजिए।

What is 'representative suit'? By whom and under what circumstances can such suit be brought? Is there any need to take consent of the persons who are to be represented? Discuss in the light of decided cases.

20

10

10

- 'क', जो एक संगम का खजाँची था, संगम की निधि का दुर्विनियोग करता है। संगम के एक संकल्प द्वारा (b) (i) 'ख', एक सदस्य, को दुर्विनियोग की हुई निधि को वसूल करने का अधिकार दिया गया। क्या 'ख', 'क' के ऊपर सफलतापूर्वक मुकदमा चला सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
 - A, who was a treasurer of an association, misappropriates the funds of the association. By a resolution of the association, B, a member, was authorized to recover the amount misappropriated. Can B successfully sue A? Give reasons for your answer.
 - (ii) एक समुदाय ने 'क', 'ख' और 'ग' को 'र' के विरुद्ध वाद चलाने के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना। लेकिन उसी समुदाय के अन्य सदस्यों 'त', 'ध' और 'द' ने प्रतिवादी 'र' का समर्थन किया। क्या इससे प्रतिनिधि वाद के स्वरूप पर असर पड़ता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

A, B and C were chosen by a community to represent them in a suit against K. But X, Y and Z, other members of the same community, supported the defendant K. Does it affect the representative character of the suit? Give reasons for your answer.

उन सीमाओं की आलोचना कीजिए जिनके अन्तर्गत 'रेस जेस्टे' का नियम कार्य करता है। भारतीय विधि के अन्तर्गत इस नियम की विसंगतियों को कहाँ तक दूर किया गया है? व्याख्या कीजिए।

Discuss the limits within which the rule of 'res gestae' operates. How far the ambiguities involved in this rule have been removed under the Indian Law? Explain.

20

- (b) क्या असली का एक फोटोग्राफ द्वितीयक साक्ष्य है, यद्यपि कि दोनों का मिलान न किया गया है, यदि है, तो कब? विधि के प्रावधानों की विवेचना कीजिए।
 - Whether a photograph of an original is a secondary evidence even though the two have not been compared, if so when? Discuss the provisions of Law.
- उपधारणा के अर्थ एवं उपयोगिता की विवेचना कीजिए। विधि की खण्डनीय उपधारणा तथा अखण्डनीय उपधारणा में भेद कीजिए।

Discuss the meaning and utility of presumptions. Draw distinction between Rebutable Presumption of Law and Irrebutable Presumption of Law.

10

6	(01)	निम्नलिखित	7	4	D aff	4=		11011111				0.0	
о.	(a)	निम्नालाखत	н	H	190-61	दा	पर	पारपूण	190-0	साक्षप्त	ाटप्पाणया	लाखए	

Write exhaustive but brief notes on any two of the following:

 $10 \times 2 = 20$

- (i) पक्षद्रोही साक्षी Hostile witness
- (ii) सूचक प्रश्न Leading questions
- (iii) सह-अपराधी Accomplice
- (iv) रूढ़ि की सुसंगतता
 Relevancy of custom
- (b) संबंधित निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए कारण सहित उत्तर दीजिए :

Answer with reasons while mentioning the related decided cases :

(i) 'क', 'ख' और 'ग' को 'घ' की हत्या और हत्या के षड्यंत्र के लिए अभियोजित किया जाता है। षड्यंत्र के मुख्य साक्ष्य के रूप में अभियुक्तों के मध्य षड्यंत्र के दौरान लिखे गए कुछ पत्र रखे गए। साथ ही गिरफ्तारी के बाद 'ख' के द्वारा परीक्षण मजिस्ट्रेट को दिया गया षड्यंत्र का बयान भी साक्ष्य में रखा गया। क्या सुसंगत है—पत्र या बयान या दोनों?

A, B and C are prosecuted for the murder and conspiracy to murder of D. As the principal evidence of the conspiracy, certain letters written by the accused to each other during the conspiracy are submitted. A statement made to the Examining Magistrate by B, giving an account of the conspiracy, after arrest, is also put in evidence. What is relevant—the letters or the statement or the both?

10

(ii) 'क' पर रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, किस पर होगा?

A is charged with travelling on a railway without a ticket. On whom the burden of proof that he had a ticket shall lie?

10

7. (a) निर्णयों की सुसंगतता की विवेचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों और उपयुक्त दृष्टांतों की सहायता से कीजिए।

Discuss the relevancy of judgements with the help of the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 and reasonable illustrations.

20

(b) कब विशेषज्ञ का साक्ष्य ग्राह्य है? विशेषज्ञ और साधारण साक्षी में क्या अंतर हैं? विवेचना कीजिए।

When the evidence of an expert is to be admitted? What are the differences between an Expert and an Ordinary Witness? Discuss.

(c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत प्रयोगित शब्द 'न्यायालय' से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

What do you understand by the word 'Court' used in the Indian Evidence Act, 1872? Discuss with the help of decided cases.

10

खण्ड—स / SECTION—C

8. (a) निम्नलिखित में विचारण का स्थान कौन-सा होगा? निर्णीत कीजिए :

What will be the venue of trial in the following? Decide:

5×4=20

- (i) जबिक रेलगाड़ी में कोलकाता तथा प्रयागराज के बीच यात्रा के दौरान अपराध कारित हुआ है

 Where the offence has been committed in train during journey between
 Kolkata and Prayagraj
- (ii) जबिक मेरठ और आगरा में स्थित दो व्यक्तियों के मध्य पत्रों के माध्यम से छल प्रकृति का अपराध कारित हुआ है

Where the offence has been committed in the nature of cheating through letters between two persons situated at Meerut and Agra

- (iii) जबिक एक लड़का प्रयागराज से व्यपहरण के पश्चात् पहले मुम्बई और फिर गुवाहाटी ले जाया जाता है
 Where a boy is kidnapped from Prayagraj and first taken to Mumbai and then to Guwahati
- (iv) 'क' ने प्रयागराज में 'ख' को दुष्प्रेरित किया कि वह मुम्बई में 'ग' की हत्या करे। 'ख' ने मुम्बई में 'ग' की हत्या कर दी

A abets B at Prayagraj to commit murder of C at Mumbai. B committed murder of C at Mumbai

(b) सत्र विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करने के तरीकों की विवेचना कीजिए। किस प्रकार से सम्मन विचारण, वारण्ट विचारण से भिन्न है? समझाइए।

Discuss the modes of recording evidence in a Sessions' Trial. How does Summon Trial differ from Warrant Trial? Explain.

10

(c) एक पुलिस अधिकारी को न तो इस बात का कोई निश्चित ज्ञान है और न ही कोई निश्चित सूचना है कि 'क' गृह-भेदन का उपकरण रखता है। पुलिस अधिकारी 'क' को गिरफ्तार करता है। क्या 'क' की गिरफ्तारी अवैध है, यद्यपि गिरफ्तारी के बाद 'क' की तलाशी में गृह-भेदन का उपकरण वास्तव में उसके पास पाया गया? कारण सहित उत्तर दीजिए।

A police officer has no definite knowledge or definite information that A is in possession of an instrument of housebreaking. The police officer arrests A. Is A's arrest illegal even though an instrument of housebreaking may actually be found on searching after the arrest? Answer with reasons.

9.	(a)	किन परिस्थितियों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को अचल संपत्ति के सम्बन्ध में उठे विवादों के होने पर कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है? समझाइए।	
		Under what circumstances is a Magistrate empowered to take action in connection with disputes concerning immovable property under Section 145 of the Code of Criminal Procedure, 1973? Explain.	20
	(b)	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत ज़िलाधिकारी की शक्तियों की विवेचना कीजिए।	

- (b) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत ज़िलाधिकारी की शक्तियों की विवेचना कीजिए।

 Discuss the powers of the District Magistrate under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- (c) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पृच्छा एवं परीक्षण हेतु फौजदारी न्यायालयों के क्या क्षेत्राधिकार हैं?

 What is the jurisdiction of the Criminal Courts in enquiries and trials under the Code of Criminal Procedure, 1973?
- 10. (a) (i) क्या कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त से नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेखन देने को कह सकता है? अपवाद, यदि कोई है, के साथ विवेचना कीजिए।

 Whether a Magistrate can ask any accused to give specimen signature or handwriting? Discuss with exception, if any.
 - (ii) क्या दोषमुक्ति के विरुद्ध किसी अपील में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है और अपील के निस्तारण तक जेल में रखने का निर्देश दिया जा सकता है? विवेचना कीजिए।

 Whether an accused in appeal from acquittal can be arrested and committed to prison pending the disposal of the appeal? Discuss.
 - (b) न्यायालय द्वारा कारित की गयी कौन-सी अनियमितताएँ परीक्षण को दूषित नहीं कर देती हैं? यह भी विवेचना कीजिए कि कब दूषित कर देती हैं।

 What irregularities committed by a Court do not vitiate trial? Also discuss when it vitiates.
 - (c) एक अभियुक्त ज़मानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और वह ज़मानत पर रिहा हो जाता है। परीक्षण के दौरान वह फ़रार हो जाता है और उसके विरुद्ध गैर-ज़मानतीय वारण्ट ज़ारी किए जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। बचाव पक्ष का अधिवक्ता उसकी ज़मानत पर रिहाई के लिए अभिवाक् सी॰ आर॰ पी॰ सी॰ की धारा 436 (1) के अन्तर्गत करता है जो यह प्रावधानित करती है कि कोई व्यक्ति जो ज़मानतीय अपराध का अभियुक्त है, को ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। क्या न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में उसे ज़मानत पर छोड़ने से मना कर सकती है? संक्षेप में कारण दीजिए। An accused is arrested in a bailable offence and he is released on bail. During trial, he absconds and nonbailable warrants are issued against him. The police arrests him and produces him before the Court. The defence counsel pleads for his release on bail under Section 436 (1), Cr.P.C. which provides that a person accused of a bailable offence shall be released on bail.

 Can the Court, in such circumstances, refuse to release him on bail? Give reasons briefly.

* * *